उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध रिवीजन वाद सं०–125/2023

नरेश प्रसाद गुप्ता बनाम् राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

15/03/24

यह वाद अपीलार्थी नरेश प्रसाद गुप्ता, पिता–स्व० जागेश्वर साव, ग्राम–पतरातू, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर विविध अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–02/2023–24 नरेश प्रसाद गुप्ता बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–पतरातू थाना सं०–22 थाना–पतरातू के खाता सं०–95, 125, 115, 127, 86, 54, 13, 129, 49, 98 रकवा–8.57 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–पतरातू थाना सं०–22 थाना–पतरातू के खाता सं०–95, 125, 115, 127, 86, 54, 13, 129, 49, 98 रकवा–8.57 ए० भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वाद के आवेदक ने मौजा–पतरातू के नीचे अंकित खाता प्लॉट की भूमि जिसपर उनके पूर्वजों का हक, हकूक, स्वत्व व दखल चला आ रहा है, जिसकी जमाबंदी भी जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से एवं जमींदारी राज्य सरकार में वेस्ट होने के पश्चात 1970 तक कायम है, जिसको नियमित करने के लिए श्रीमान के यहाँ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के आदेश दिनांक–06.07.2023 के खिलाफ रिवीजन दायर की गई है

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	जमीन का प्रकार
पतरातू	95	440	01 डी०	खतियानी/रैयती भूमि
		441	17 डी०	खतियानी/रैयती भूमि
	54	1263	03 डी०	खतियानी/रैयती भूमि
	125	444	14 डी०	खतियानी/रैयती भूमि

		446	01 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
	115	771	03 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
	127	772	03 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
		773	01 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
	129	902	41 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
		1007	31 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
	49	814	43 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
		812	03 डी०	खतियानी / रैयती भूमि
	98	1329	2.11 डी०	बकास्त
	86	774	06 डी०	गैरमजरूआ खास
		901	15 डी०	गैरमजरूआ खास
		21	1.14 ए०	गैरमजरूआ खास
		1287 / 1387	2.00 ए०	गैरमजरूआ खास
	13	1317	1.50 ए०	गैरमजरूआ खास

वास्तविक तथ्य यह है कि मौजा—पतरातू थाना—पतरातू थाना नं०—82 के खाता नं०—54 एवं अन्य खाता जिनका कुल रकवा—7.84 ए० भूमि जो रिवीजनकर्ता के पिता—स्व० जागेश्वर साव के हक, हकूक, स्वत्व व दखल कब्जा भूमि है जिसमें से 3.75 ए० भूमि खतियानी / रैयती भूमि है एवं 4.85 ए० भूमि गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है। मौजा—पतरातू के खाता नं०—49, 54, 95, 98, 115, 125, 127, 129 सर्वे खतियान में रैयती खाते की भूमि है एवं खाता नं०—86 व 13 गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है। खतियानी रैयत द्वारा खतियानी भूमि का लगान नहीं देने के कारण उनके द्वारा उक्त खतियानी भूमि भूतपूर्व जमींदार के पास सरेन्डर करते हुए इस्तीफा दे देने के पश्चात भूतपूर्व जमींदार द्वारा हुकुमनामा चेत सुदी 10 रोज सम्वत् 2000 अर्थात 1943 में रिवीजनकर्ता के पिता—स्व० जागेश्वर साव को कुल 8.57 ए० भूमि बंदोबस्त कर दिये, जिस पर बंदोबस्ती के समय से वैधानिक रूप से जागेश्वर साव दखलकार रहते हुए जमींदारी उन्मूलन तक जमींदार को एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात राज्य सरकार को 1970 तक मालगुजारी देकर रसीद प्राप्त किये, जिसकी जमाबंदी पंजी—II के पुरानी पंजी के पृष्ठ संख्या—139 एवं वर्तमान राजस्व पंजी के पृष्ठ संख्या—108 / 1 में स्व० जागेश्वर साव के नाम से कायम है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदार द्वारा जिस जमीन को रैयतों को बदोबस्ती की गई उसका पूर्ण विवरण रिटर्न के माध्यम से राज्य सरकार को जमा किया गया, उक्त रिटर्न के पेज नं०—10 में जागेश्वर साव का नाम अंकित है। जागेश्वर साव द्वारा भूतपूर्व जमींदार से प्राप्त 8.57 ए० भूमि मे से निबंधित विक्रय पत्र संख्या—2578, दिनांक—17.05.1962 के माध्यम से खाता नं०—98 प्लॉट नं०—1329 का रकवा—2.11 ए० मे से 10 डी० भूमि जागेश्वर साव द्वारा श्रीमति रामकुमारी देवी को विक्रय किये, जिसकी जमाबंदी रामकुमारी देवी के नाम से कायम हुई, इसी तरह जागेश्वर साव ने खाता नं०—127, 115, 129, 49, 54 एवं अन्य भूमि

निबंधित विक्रय पत्र संख्या–7496 दिनांक–26.09.1967 के माध्यम से नरेश प्रसाद गुप्ता वगै० को विक्रय किये, जिसपर उनका दखल–कब्जा रहते हुए उनके नाम से जमाबंदी कायम हुई। इसी तरह जागेश्वर साव द्वारा बंदोबस्त भूमि मे से कुल 80 डी० भूमि भिन्न–भिन्न रैयतों को विक्रय किये जिसकी जमाबंदी क्रेताओं के नाम से कायम होकर शेष बची भूमि 7.77 ए० भूमि की जमाबंदी जागेश्वर साव के नाम कायम हाकर 1970 ई० तक मालगुजारी रसीद निर्गत है। चूँकि जागेश्वर साव के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिशानों में आपसी समांजस्य नहीं होने के कारण उनलोगों के द्वारा 1970 ई० के पश्चात भूमि की मालगुजारी रसीद निर्गत कराने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण से 1970 ई० के बाद प्रश्नगत भूमि की मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो सकी। जागेश्वर साव के वंशज नरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा अपने पूर्वजों के नाम से निर्गत नहीं हो रही मालगुजारी रसीद के संबंध में जानकारी होने पर नरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा अंचल अधिकारी, पतरातू के यहाँ मौजा–पतरातू के खाता सं०–54 एवं अन्य खाता व प्लॉट की कुल जमा रकवा–7.84 ए० भूमि जिसकी जमाबंदी उनके पूर्वज जागेश्वर साव क नाम से रजि०–II के भोल्युम नं०–1 पेज नं०–108 में कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु आवेदन दिया गया। नरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा अंचल अधिकारी, पतरातू के यहाँ दायर आवेदन पर कार्यवाही करते हुए राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसपर राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी की प्रश्नगत खाता प्लॉट संबंधित सभी जानकारी को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया साथ ही आवेदक के राजस्व संबंधित तथ्यों का सही पाते हुए एवं आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा पाते हुए 7.84 ए० भूमि का लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुशंसा की गई। अंचल अधिकारी द्वारा उक्त 7.84 ए० भूमि का अंचल अमीन से भी जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसपर अंचल अमीन ने स्थल का निरीक्षण कर यह पाया की प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि पर भिन्न–भिन्न लोगों का मकान सहन बना हुआ है। कुछ भूमि परती भी है भमि का मापी प्रतिवेदन समर्पित किया गया। मौजा–पतरातू के खाता नं०–86 प्लॉट नं०–1287/1387 रकवा–09 डी० भूमि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भू–अर्जन वाद संख्या–238/60–61 द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसका मुआवजा जागेश्वर साव को भुगतान किया गया था, उक्त अधिग्रहित रकवा को जागेश्वर साव की जमाबंदी से घटाया गया था। अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल अमीन द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निष्कर्ष निकालते हुए यह पाते है कि जागेश्वर साव के नाम से 1970 ई० तक रसीद निर्गत है लेकिन लम्बी अवधि से लगान निर्गत नहीं होने के कारण अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी के अंतर्गत नहीं होना है, इसलिए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अंचल अधिकारी के आदेश खिलाफ रिवीजनकर्ता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के यहाँ अपील दायर की गई, लेकिन

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विविध अपील दायर करने के प्रावधानों संबंधित जिक्र नहीं होने के आधार पर रिवीजनकर्ता के अपील आवेदन को बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त कर दिया गया। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि मालगुजारी रसीद नियमित करने एवं स्थगित करने व रद्द करने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार के अधीन राजस्व पदाधिकारी को होता है जिनको राजस्व संबंधित आदेश पारित करने के लिए अलग से न्यायालय का गठन कर शक्ति प्रदान की गई है भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ को भी जमाबंदी कायम, नियमित व रद्द करने का अनुशंसा का क्षेत्राधिकार प्राप्त है लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग नहीं करते हुए, रिवीजनकर्ता के अपील आवेदन पर उचित आदेश नहीं पारित करने में विधि सम्मत भूल की है जिस आधार उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, पतरातू को निदेश दिया कि जागेश्वर साव के नाम से रजि०–II के भोल्युम नं०–1 पेज नं०–108 के माध्यम से निर्गत हो रही रसीद को 1970 ई० के पश्चात 1971 ई० से अद्यतन मालगुजारी लेकर रसीद निर्गत करने की कृपा करें। इसके लिए रिवीजनकर्ता श्रीमान् का सदा आभारी रहेंगे।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि मौजा–पतरातू के खाता सं०–95, 54, 125, 115, 127, 129 एवं 49 रैयती खाते की भूमि है, खाता सं०–98 बकास्त खाते की भूमि है एवं खाता सं०–86, 13 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें भूतपूर्व जमींदार से सादा हुकुमनामा से प्राप्त है, जो संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि रैयती भूमि का हस्तांतरण सादा हुकुमनामा से करना नियमानुकूल नहीं है। साथ ही साथ उनका यह कहना की वर्ष–1970 तक रसीद निर्गत है उसके बाद इतनी लम्बी अवधि तक रसीद निर्गत नहीं होना भी संदेह उत्पन्न करता है। मामला सक्षम न्यायालय से संबंधित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–पतरातू के खाता सं०–95, 54, 125, 115, 127, 129 एवं 49 रैयती खाते की भूमि है, खाता सं०–98 बकास्त खाते की भूमि है एवं खाता सं०–86, 13 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें भूतपूर्व जमींदार से सादा हुकुमनामा से प्राप्त है। विभिन्न न्यायालयों यथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में दायर वाद संख्या–JCR 2008(4) 429 महावीर कांसी बनाम झारखण्ड राज्य में पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि, **"that a Jamabandi based on forged sada Hukumnama in collusion with the Government officials without obtaining the order of competent authority, is illegal and liable to be cancelled,"** यदि तत्कालीन जमीन्दार द्वारा विपक्षी के पक्ष में सादा हुकुमनामा निर्गत किया

गया होता तो प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती पश्चात् प्रपत्र "K" में रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए था। परन्तु विपक्षी के द्वारा प्रपत्र "K" में रिटर्न जमा किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा जिस सादा हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि के लिए विपक्षी का दावा अस्वीकार्य है। विपक्षी का यह भी कहना है कि खाता सं०–98 बकारत्त खाते की भूमि है। बकारत्त खाते की भूमि "Landlors's Privileged lands" होता है। रैयत द्वारा विहित प्रपत्र M में प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण किया गया है से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि बिहार भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–5,6 & 7 के तहत् बंदोबस्ती प्राप्त भूमि का प्रपत्र M में लगान निर्धारण किया जाना आवश्यक है। लगान निर्धारण का साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। विपक्षी का आगे कहना है कि खाता सं०–86 एवं 13 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। जिस पर विभिन्न लोगो का मकान सहन बना हुआ है। उक्त खाते की भूमि को विधिवत् जमाबंदी की जाँच बिहार भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4(H) इत्यादि के तहत् की जानी आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विविध अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–02/2023–24 नरेश प्रसाद गुप्ता बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, पतरातू को निदेश दिया जाता है कि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि की कायम जमाबंदी को मुख्य सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2074, दिनांक–13.05.2016 द्वारा निर्गत निदेश एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4(H) इत्यादि के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ एवं आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, पतरातू को भेजे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.05.08 17:16:07 +05:30
Location: 192.168.0.22

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 15/03/24

उपायुक्त,
रामगढ़।